भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5287
(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन अदालतें

5287. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित पेंशन अदालतों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ख) क्या सरकार पेंशन अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों का विभागवार रिकॉर्ड रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में पेंशन संबंधी विवादों के समाधान के लिए अतिरिक्त पेंशन अदालतें आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पेंशन अदालतों के दौरान मध्यस्थता, बातचीत या अन्य माध्यमों जैसी कार्यविधियों का उल्लेख करते हुए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा शिकायतों का पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) और (ख) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित लंबित शिकायतों का निवारण करने के लिए पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है। चूंकि पेंशन अदालतें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए आयोजित की जाती हैं अत: मंत्रालय-वार/विभाग-वार आंकड़े रखे जाते हैं और राज्य-वार आंकडे नहीं रखे जाते। पिछले 5 वर्षों के दौरान आयोजित पेंशन अदालतों में रक्षा मंत्रालय, रेल, दूरसंचार, वित्त, गृह मंत्रालय और सीएजी कार्यालय जैसे प्रमुख मंत्रालयों सहित लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित उठाए गए मामलों और निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पेंशन अदालत (वर्ष)	अदालत के दौरान उठाए गए मामलों की संख्या	अदालत के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
2020	342	319
2021	3692	2591
2022	1732	1113
2023	603	440
2024	403	330
2025	192	151
कुल	6,964	4,944

(ग) जी हां महोदय, सरकार भविष्य में पेंशन संबंधी लंबित शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त पेंशन अदालतें आयोजित करने का विचार रखती है।

(घ) पेंशन अदालत का उद्देश्य सीपेनग्राम्स में दर्ज की गई और काफी समय से लंबित पड़ी शिकायतों का ऑन-द-स्पाट समाधान प्रदान करना है। सभी हितधारकों को अग्रिम सूचना देने के बाद, जिसमें कार्यालय प्रमुख (एचओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), पेंशन संवितरण बैंक आदि शामिल हैं और पेंशनभोगी के प्रतिनिधि को, शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समान प्लेटफार्म पर आमंत्रित किया जाता है।

(ङ) पेंशन अदालतों में उठाए गए अधिकांश मामलों का ऑन-द-स्पाट समाधान कर दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ समुचित संपर्क किया जाता है और निपटाए गए मामलों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टें(एटीआर) मांगी जाती हैं। अगली पेंशन अदालत आयोजित करने से पूर्व लंबित मामलों को पुन: देखा जाता है और उनकी स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है।